न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 01A/2017

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
स्व0 डुंगा पुत्र जेठा के विधिक वारिशान 1. गेनीबाई पुत्री डूंगा 2. हंजाबाई पुत्री डूंगा 3. सुखीबाई पुत्री डूंगा जातिगण सिरवी निवासीगण बिजोवा		जीवा पुत्र डूंगा के विधिक वारिशान 1. रमेश पुत्र जीवाजी 2. लक्ष्मण पुत्र जीवाजी 3. पकीबाई बेवा जीवाजी 4. तीजो पुत्री जीवाजी जातिगण सिरवी निवासीगण बिजोवा 5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 अनुपस्थित
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार,

–: निर्णय :–

दिनांक : 7/12/2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम बिजोवा तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 839 पर तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 07.01.1983 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 बावजूद सम्मत तामील के अनुपस्थित। अतः प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की भूमि खातेदार डूंगा पुत्र जेठा की खातेदारी भूमि थी। डूंगा की मृत्यु के बाद जो फौतेदगी नामान्तरकरण दायर किया गया, वो अकेले जीवाराम पुत्र डूंगा के नाम दायर किया गया, जबकि डूंगा के विधिक वारिशान के तौर पर अपीलाण्ट का नाम भी बतौर पुत्रीया दर्ज किया जाना न्यायोचित था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी यह नामान्तरकरण अपीलाण्ट्स एवं जीवाराम के नाम दायर किया जाना था, किन्तु पटवारी हल्का द्वारा जीवाराम से मिलावट कर उक्त भूमि का जैर अपील नामान्तरकरण जीवाराम के नाम दायर किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद

अति० जिला कलक्टर, पाली

शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। ग्राम बिजोवा का नामान्तरकरण संख्या 839 खातेदार डूंगा वल्द जेठा कौम सिरवी के फौत होने पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.01.1983 को डूंगा के विधिक वारिशान के तौर पर नाम दायर किया गया। इसके भू0अ0नि0 ने जांच कर यह नोट अंकित किया कि राजस्व रेकर्ड से मिलान किया, इन्द्राज सही पाया। इस पर दिनांक 07.01.1983 को नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है। नामान्तरकरण की पुश्त पर मृतक डूंगा की वंशावली नही बनाई गई तथा न ही ऐसा कोई तथ्य रेकर्ड पर आया है, जिससे यह साबित हो सके कि मृतक डूंगा के विधिक वारिशान के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है। अपीलाण्ट्स ने स्वयं को डूंगा की पुत्रीया होना बताते हुए डूंगा की खातेदारी भूमि में बतौर पुत्रीयां अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने का अनुतोष चाहा है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार से प्रतिकार नही किया है तथा न ही किसी भी रूप में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन हुआ है। लिहाजा अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार की जाती है तथा ग्राम बिजोवा के नामान्तरकरण संख्या 839 पर नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 07.01.1983 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक डूंगा पुत्र जेठा कौम सिरवी के विधिक वारिशान की जांच कर पक्षकारान का साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 7/12/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली